न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 388/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. मोहम्मद सलाम पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मोहम्मद तुफैल पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. हनीफ पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मंजूरा पुत्री गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. हनीफा पुत्री गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सजारा पुत्री सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. इनामुलहक पुत्र स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. जुलैबा बीबी पुत्री स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. युसफ अली पति स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 26.7.2024

वादीगण मोहम्मद सलाम व अन्य ने प्रतिवादीगण हनीफ वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का चाचा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादीगण की बुआ, प्रतिवादी सं. 4 वादीगण की बहिन, प्रतिवादी सं. 5 वादीगण का भान्जा, प्रतिवादी सं. 6 वादीगण की भान्जी एवं प्रतिवादी सं. 7 वादीगण का बहनोई है, जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के स्व. पिता मोहम्मद शरीफ उर्फ सरीफ, वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 1 हनीफ एवं वादीगण के स्व. चाचा अदरीश के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 52/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 4.048 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील आनलाईन होने के पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में पैमुद हुई। पैमुद होने के पश्चात वादीगण के स्व. पिता का नाम मोहम्मद शरीफ व सरीफ जमाबन्दी के क्रम सं. 2 व 3 पर अलग-अलग दर्ज हो गया। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खा की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का ... स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के बहकावे में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी कार्यों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ता 7 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः-

(क) **वादी सं. 1 मोहम्मद सलाम पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/196 61 22,23/0.253 है.प्र., 24/1/0.168 है.

कुल 0.674 है. कृषि भूमि

(ख) **वादी सं. 2 मोहम्मद तुफैल पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/196 61 24/0.085 है., 25/0.253 है.प्र

144/196 62 21/0.253 है., 22/0.084 है.

कुल 0.675 है. कृषि भूमि

(ग) **वादी सं. 3 मोहम्मद हुसैन पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

144/196 62 22/0.169 है., 23,24/0.253 है.प्र.,

कुल 0.675 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 1 हनीफ पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

143/196 61 16ता19/0.253 है.प्र.

144/196 62 17ता20/0.253 है.प्र.

कुल 2.024 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की [illegible] बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पे[illegible] तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 [illegible] द्वारा सहमति[illegible] जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक [illegible] प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामि[illegible] वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.[illegible] के खाता सं. 52/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 एवं चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र आ.

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया, प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के स्व. पिता मोहम्मद शरीफ उर्फ सरीफ, वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 1 हनीफ एवं वादीगण के स्व. चाचा अदरीश के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 52/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 4.048 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील आनलाईन होने के पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में पैमुद हुई। पैमुद होने के पश्चात वादीगण के स्व. पिता का नाम मोहम्मद शरीफ व सरीफ जमाबन्दी के क्रम सं. 2 व 3 पर अलग-अलग दर्ज हो गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) **वादी सं. 1 मोहम्मद सलाम पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	18/0.013 है., 22/0.253 है., 23/0.240 है., 24/0.168 है. कुल 0.674 है. कृषि भूमि

(ख) **वादी सं. 2 मोहम्मद तुफैल पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	24/0.085 है., 25/0.253 है.प्र.
144/196	62	21/0.253 है., 22/0.084 है.
		कुल 0.675 है. कृषि भूमि

(ग) **वादी सं. 3 मोहम्मद हुसैन पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/196	62	22/0.169 है., 23,24/0.253 है.प्र.,
		कुल 0.675 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 1 हनीफ पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	16,17/0.253 है.प्र., 18/0.240 है., 19/0.253 है.प्र., 23/0.013 है.,
144/196	62	17ता20/0.253 है.प्र.
		कुल 2.024 है. कृषि भूमि

लगातार --4

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादीगण के स्व. पिता सरीफ उर्फ मोहम्मद सरीफ के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 52/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 4.048 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.674 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 2 व 3 को 1.350 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 1 को 2.024 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 व 3 एवं मृतक सरीफ उर्फ मोहम्मद सरीफ का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कर्म किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 388/2024

मोहम्मद सलाम पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मोहम्मद तुफैल पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मोहम्मद हुसैन पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादीगण

बनाम्

हनीफ पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मंजूरा पुत्री गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
हनीफा पुत्री गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुलजारा पुत्री सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
इनामुलहक पुत्र स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जुलेखा बीबी पुत्री स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
युसफ अली पति स्व. गुलजारा बीबी पुत्री स्व. सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.7.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि :-

वादी सं. 1 मोहम्मद सलाम पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	18/0.013 है., 22/0.253 है., 23/0.240 है., 24/0.168 है. कुल 0.674 है. कृषि भूमि

वादी सं. 2 मोहम्मद तुफैल पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	24/0.085 है., 25/0.253 है.प्र.
144/196	62	21/0.253 है., 22/0.084 है.
		कुल 0.675 है. कृषि भूमि

वादी सं. 3 मोहम्मद हुसैन पुत्र सरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
144/196	62	22/0.169 है., 23,24/0.253 है.प्र., कुल 0.675 है. कृषि भूमि

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 हनीफ पुत्र गुलाम फरीद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 57/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/196	61	16,17/0.253 है.प्र., 18/0.240 है., 19/0.253 है., 23/0.013 है.,
144/196	62	17ता20/0.253 है.प्र.
		कुल 2.024 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादीगण के स्व. पिता सरीफ उर्फ मोहम्मद सरीफ के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 52/48 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 4.048 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 0.674 है. कृषि भूमि का, वादी सं. 2 व 3 को 1.350 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 1 को 2.024 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 व 3 एवं मृतक सरीफ उर्फ मोहम्मद सरीफ का नाम कलमजन किया जावे तथा उपरोक्तानुसार खाता अलग कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X..... मुब्लिक ....X.........निल .....X..... बाबत् .....X....... निल.......X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X...........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 26.7.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:58:09
Reason: SelfAttested